सार्वजनिक सूचना

यूपीसीएल द्वारा उत्तराखण्ड़ विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी वित्तीय वर्ष 2024–25 की ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2025–26 की कार्य प्रगति समीक्षा तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ पिटीशन पर विचार आंमत्रित किये जाते हैः

वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) एवं टैरिफ पिटीशन के मुख्य अंश

1– उत्तराखण्ड़ पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), उत्तराखण्ड़ राज्य की एकमात्र वितरण अनुज्ञापी कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2026–27 की एआरआर की स्वीकृति तथा विद्युत दरें निर्धारित करने हेतु आयोग के समक्ष एक पिटीशन प्रस्तुत की है तथा राज्य के विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं से वित्तीय वर्ष 2026–27 में चार्ज की जाने वाली फुटकर विद्युत दरों के पुर्नरीक्षण का प्रस्ताव किया है।

2– यूपीसीएल ने उपरोक्त पिटीशन के माध्यम से आडिटेड़ लेखों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024–25 के खर्चो के ट्रू–अप का प्रस्ताव भी किया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 की संशोधित एआरआर एवं संशोधित राजस्व अन्तर का सारांश व वित्तीय वर्ष 2026–27 की अनुमानित एआरआर एवं राजस्व अन्तर का विवरण निम्नवत् हैः

(आंकडे रु0 करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2025–26		वित्तीय वर्ष 2026–27
		आयोग द्वारा अनुमोदित	यूपीसीएल द्वारा प्रस्तावित अन्तिम ट्रू–अप	आयोग द्वारा अनुमोदित	यूपीसीएल के संशोधित अनुमान	यूपीसीएल द्वारा अनुमानित
अ	खर्चे					
1	ऊर्जा क्रय लागत #	7609.36	7907.84	7539.52	8505.46#	9067.16#
2	यूजेवीएनएल की बकाया कमी / (अधिक्य)	(126.14)		613.46	-	-
3	एसएलडीसी चार्जेज	380.60	384.39	562.87	468.38	514.27
4	राज्य के पारेषण व्यय					
5	अर्न्तराज्य पारेषण व्यय	765.82	591.82	720.61	695.03	754.23
6	परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय	791.80	868.77	898.73	1138.10	1221.50
7	स्मार्ट मीटरिंग ओपेक्स व्यय	-	-	167.24	258.47	327.72
8	ब्याज प्रभार (उपभोक्ताओं की जमानत राशि पर ब्याज सहित)	153.05	168.00	175.12	345.50	404.49
9	ह्रास	252.95	209.86	180.19	233.76	259.23

क्रम सं0	विवरण	वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2025–26		वित्तीय वर्ष 2026–27
		आयोग द्वारा अनुमोदित	यूपीसीएल द्वारा प्रस्तावित अन्तिम ट्रू–अप	आयोग द्वारा अनुमोदित	यूपीसीएल के संशोधित अनुमान	यूपीसीएल द्वारा अनुमानित
10	अंशपूजी पर प्रतिफल	197.80	252.33	227.62	289.06	329.19
11	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	142.26	181.40	124.85	206.60	209.00
12	अशोद्वय ऋणों के लिये प्रावधान	-	-	109.85	117.55	125.48
13	शुद्ध लाभ / (हानि) के अंश का प्रभाव	-	(13.93)	-	-	-
14	गत वर्ष तक के लम्बित सर्टिफिकेट्स का अतिरिक्त क्लेम	-	318.48*	-	-	-
15	**सकल व्यय**	**10167.51**	**10868.97**	**11320.06**	**12257.92**	**13212.28**
ब.	घटाया : नॉन टैरिफ आय	374.86	338.69	382.20	338.69	338.69
	गत वर्ष के Truing up का प्रभाव कमी / (आधिक्य)	897.38	897.38	638.19	638.19	1711.45^
स.	**कुल राजस्व आवश्यकता**	**10690.03**	**11427.66**	**11576.05**	**12557.42**	**14585.04**
द.	अनुमोदित / लागू विद्युत दरों पर राजस्व	**10763.68**	**10078.47**	**10985.39**	**-**	**12548.05**
य.	**राजस्व (आधिक्य)/ कमी (स–द)**	**-73.65**	**1349.19**	**590.66**	**-**	**2036.99**

 # वॉटर टैक्स तथा आर.पी.ओं सहित।

** रु0 107.65 करोड़ की वहन लागत सहित।*

^ रु0 362.25 करोड़ की वहन लागत सहित।

3– यूपीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के ट्रू–अप के प्रभाव सहित राजस्व की कुल कमी रू0 2036.99 करोड़ अनुमानित की है।

4– यूपीसीएल ने मल्टी ईयर टैरिफ आदेश दिनांक 11–04–2025 में अनुमोदित वितरण हानियों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 की वितरण हानियां 12.25 प्रतिशत अनुमानित की है।

5– वर्ष 2026–27 में यूजेवीएन लिमिटेड के विद्युत उत्पादन गृहों से उत्पादित विद्युत की लागत उनके नवीनतम टैरिफ आदेशों के अनुसार ली गयी है। केन्द्रीय विद्युत उत्पादन गृहों से उत्पादित विद्युत की विद्युत कय्र लागत (फिक्स चार्ज)वर्ष 2024–25 के फिक्स चार्ज के समतुल्य लिये गये है। इसके अतिरिक्त परिवर्तनशील लागत तथा अन्य लागत वर्तमान वर्ष की वास्तविक परिवर्तनशील लागत तथा अन्य लागत के समतुल्य लिये गये है। पीजीसीआईएल के पारेषण चार्जेज की गणना वर्ष 2024–25 की वास्तविक लागत (बकाया रहित) प्रति यूनिट के आधार पर प्रदेश के बाहर से क्रय की जाने वाली ऊर्जा को गुणा कर इसमे 3 प्रतिशत की वृद्धि मानते हुए आगणित की गयी है। वर्ष 2026–27 के राज्य के ट्रांसमिशन चार्जेज तथा स्टेट लोड डिस्पेच सेन्टर चार्जेज यूईआरसी के मल्टी ईयर टैरिफ आदेश दिनांक 11–04–2025 के अनुसार लिये गये हैं।

6– यूपीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के ट्रू–अप तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 की एआरआर तथा राजस्व की कुल कमी रु0 2036.99 करोड़ को वित्तीय वर्ष 2026–27 में टैरिफ में वृद्धि कर वसूली का प्रस्ताव किया है।

7– इस प्रकार यूपीसीएल ने वर्तमान में उपभोक्ताओं पर लागू विद्युत दरों में 16.23 प्रतिशत औसत वृद्धि का प्रस्ताव किया है।

8– पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड़ लिमिटेड, स्टेट लोड डिस्पेच सेन्टर एवं यूजेवीएन लिमिटेड ने भी वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये अपनी एआरआर एवं टैरिफ पिटीशन आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है। यदि आयोग द्वारा इनके दावे स्वीकार किये जाते है, तो उपभोक्ता टैरिफ में वित्तीय वर्ष 2026–27 में 18.50 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

9– यूपीसीएल ने रु0 2036.99 करोड की कमी को पूरा करने के लिये वर्ष 2026–27 में लागू किये जाने वाले टैरिफ में संशोधन का प्रस्ताव किया है।

10– वर्ष 2026–27 की राजस्व की कमी को पूरा करने के लिये सब्सिडी सपोर्ट के बिना टैरिफ प्रस्ताव निम्नानुसार हैः

उपभोक्ता श्रेणी	फिक्स/डिमांड चार्जेज		इनर्जी चार्ज	
	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित
आरटीएस–1: घरेलू				
1.1 लाईफ लाईन उपभोक्ता	रू0 18/ कनेक्शन/ माह	रू0 18/ कनेक्शन/ माह	रू0 1.85/kWh	रू0 1.94/kWh
1.2 अन्य घरेलू उपभोक्ता				
1 कि0वा0 भार तक				
(i) उपभोग 100 यूनिट प्रतिमाह तक	रू0 75/ कि0वा0/ माह	रू0 87/kW	रू0 3.65/kWh	रू0 4.23/kWh
(ii) उपभोग 101–200 यूनिट प्रतिमाह	रू0 75/ कि0वा0/ माह	रू0 87/kW	रू0 5.25/kWh	रू0 6.09/kWh
(iii) उपभोग 201–400 यूनिट प्रतिमाह	रू0 75/ कि0वा0/ माह	रू0 87/kW	रू0 7.15/kWh	रू0 8.29 /kWh
(iv) उपभोग 400 यूनिट से अधिक प्रतिमाह	रू0 75/ कि0वा0/ माह	रू0 87/kW	रू0 7.80/kWh	रू0 9.04/kWh
1 कि0वा0 से 4 कि0वा0 भार तक				
(i) उपभोग 100 यूनिट प्रतिमाह तक	रू0 85/ कि0वा0/ माह	रू0 99/kW	रू0 3.65/kWh	रू0 4.23/kWh
(ii) उपभोग 101–200 यूनिट प्रतिमाह	रू0 85/ कि0वा0/ माह	रू0 99/kW	रू0 5.25/kWh	रू0 6.09/kWh
(iii) उपभोग 201–400 यूनिट प्रतिमाह	रू0 85/ कि0वा0/ माह	रू0 99/kW	रू0 7.15/kWh	रू0 8.29/kWh
(iv) उपभोग 400 यूनिट से अधिक प्रतिमाह	रू0 85/ कि0वा0/ माह	रू0 99/kW	रू0 7.80/kWh	रू0 9.04/kWh
4 कि0वा0 से अधिक भार				
(i) उपभोग 100 यूनिट प्रतिमाह तक	रू0 100/ कि0वा0/ माह	रू0 116/kW	रू0 3.65/kWh	रू0 4.23/kWh
(ii) उपभोग 101–200 यूनिट प्रतिमाह	रू0 100/ कि0वा0/ माह	रू0 116/kW	रू0 5.25/kWh	रू0 6.09/kWh
(iii) उपभोग 201–400 यूनिट प्रतिमाह	रू0 100/ कि0वा0/ माह	रू0 116/kW	रू0 7.15/kWh	रू0 8.29/kWh

उपभोक्ता श्रेणी	फिक्स / डिमांड चार्जेज		इनर्जी चार्ज	
	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित
(iv) उपभोग 400 यूनिट से अधिक प्रतिमाह	रू0 100/ कि0वा0 / माह	रू0 116/kW	रू0 7.80/kWh	रू0 9.04/kWh
2. सिंगल प्वाइन्ट बल्क सप्लाई	रू0 120 / केवीए / माह	रू0 140 / केवीए / माह	रू0 7.50/kVAh	रू0 8.76/kVAh
आरटीएस–1एःस्नोबाउन्ड				
1.घरेलू	रू0 18/ कनेक्शन / माह	रू0 21/ कनेक्शन / माह	रू0 1.85/kWh	रू0 2.16/kWh
2.अघरेलू (1 किवा भार तक)	रू0 18/ कनेक्शन / माह	रू0 21/ कनेक्शन / माह	रू0 1.85/kWh	रू0 2.16/kWh
3.अघरेलू (1 किवा से अधिक एवं 4 किवा भार तक)	रू0 18/ कनेक्शन / माह	रू0 21/ कनेक्शन / माह	रू0 2.75/kWh	रू0 3.21/kWh
4.अघरेलू (4 किवा से अधिक भार)	रू0 30/ कनेक्शन / माह	रू0 35/ कनेक्शन / माह	रू0 4.00/kWh	रू0 4.67/kWh
आरटीएस–2: अघरेलू				
1. (i) सरकारी / म्यूनिस्पिल अस्पताल (ii) सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थायें (iii) चेरिटेबिल संस्थायें जो आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत पंजीकृत हो एवं जिनकी आय इस अधिनियम के अन्तर्गत कर मुक्त हो।				
1.1 25 किवा भार तक	रू0 90/ कि0वा0 / माह	रू0 105/ कि0वा0 / माह	रू0 6.00/kWh	रू0 7.01/kWh
1.2 25 किवा से अधिक भार	रू0 100/ केवीए / माह	रू0 117/ केवीए / माह	रू0 5.85/kVAh	रू0 6.83/kVAh
2. अन्य अघरेलू उपभोक्ता				
2.1 अघरेलू उपभोक्ता जिनका भार 4 किवा तक व उपभोग 60 यूनिट प्रति माह तक है	रू0 90/ कि0वा0 / माह*	रू0 113/ कि0वा0 / माह	रू0 5.75/kWh*	रू0 6.71/kWh
2.2 अन्य 25 किवा0 भार तक (2.1 के अतिरिक्त)	रू0 110/ कि0वा0 / माह	रू0 129/ कि0वा0 / माह	रू0 7.75/kWh	रू0 9.05/kWh
2.3 25 किवा से अधिक भार	रू0 115/ केवीए / माह	रू0 135/ केवीए / माह	रू0 7.80/kVAh	रू0 9.11/kVAh
3. सिंगल प्वाइन्ट बल्क सप्लाई	रू0 130/ केवीए / माह	रू0 163/ केवीए /	रू0 7.80/kVAh	रू0 9.11/kVAh

उपभोक्ता श्रेणी	फिक्स / डिमांड चार्जेज		इनर्जी चार्ज	
	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित
(75 किवा से अधिक भार)		माह		
4.0 स्वतंत्र विज्ञापन होर्डिंग्स	रू0 140/ कि0वा0माह	रू0 163/ कि0वा0माह	रू0 8.60/kWh	रू0 10.04/kWh
आरटीएस–3: गवर्नमेन्ट पब्लिक यूटिलिटिज				
1. नगरीय	रू0 130/केवीए / माह	रू0 152/केवीए / माह	रू0 7.85/kVAh	रू0 9.17/kVAh
2. ग्रामीण	रू0 120/केवीए / माह	रू0 140/केवीए / माह	रू0 7.85/kVAh	रू0 9.17/kVAh
आरटीएस–4: निजी नलकूप / पम्पिंग सेट				
मीटर सहित			रू0 2.70/kWh	रू0 2.84/kWh
आरटीएस–4 ए: एग्रीकल्चर एलाइड एक्टीवीटीज				
मीटर सहित (25 कि0वा0 भार तक)			रू0 3.80/kWh	रू0 3.99/kWh
मीटर सहित (25 कि0वा0 – 75 कि0वा0 भार तक)	रू0 75/केवीए / माह	रू0 88/केवीए / माह	रू0 3.80/kVAh	रू0 3.99/kVAh
मीटर सहित (75 कि0वर0 भार से अधिक)	रू0 100/केवीए / माह	रू0 117/केवीए / माह	रू0 4.00/kVAh	रू0 4.20/kVAh
आरटीएस–5: निम्न एवं उच्च विभव उद्योग				
निम्न विभव उद्योग				
1. निम्न विभव उद्योग (75 कि0वा0 भार तक) – सामान्य अवधि	रू0 185/ केवीए /माह	रू0 185/ केवीए /माह	रू0 5.75/kVAh	रू0 6.71/kVAh
1.1 सामान्य अवधि चार्जेज			रू0 5.75/kVAh	रू0 6.71/kVAh
1.2 पीक अवधि चार्जेज			रू0 7.48/kVAh	रू0 8.73/kVAh
1.3 ऑफ पीक अवधि चार्जेज			रू0 4.31/kVAh	रू0 5.03/kVAh
उच्च विभव उद्योग				
1. उच्च विभव उद्योग (1000 के0वी0ए0 की मांग तक)				
1.1 लोड फैक्टर 40 प्रतिशत तक	रू0 410/ केवीए /माह	रू0 479/ केवीए	रू0 6.45/kVAh	रू0 7.53/kVAh

उपभोक्ता श्रेणी	फिक्स/डिमांड चार्जेज		इनर्जी चार्ज	
	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित
–सामान्य अवधि	बिल योग्य मांग पर	/माह बिल योग्य मांग पर		
1.2 लोड फैक्टर 40 प्रतिशत से अधिक –सामान्य अवधि	रू0 410/ केवीए /माह बिल योग्य मांग पर	रू0 479/ केवीए /माह बिल योग्य मांग पर	रू0 6.85/kVAh	रू0 8.00/kVAh
1.3 पीक अवधि चार्जेज (लोड फैक्टर 40 प्रतिशत तक)			रू0 8.91/kVAh	रू0 10.40/kVAh
1.4 पीक अवधि चार्जेज (लोड फैक्टर 40 प्रतिशत से अधिक)			रू0 8.91/kVAh	रू0 10.40/kVAh
1.5 ऑफ पीक अवधि चार्जेज (लोड फैक्टर 40 प्रतिशत तक)			रू0 4.84/kVAh	रू0 5.65/kVAh
1.6 ऑफ पीक अवधि चार्जेज (लोड फैक्टर 40 प्रतिशत से अधिक)			रू0 5.14/kVAh	रू0 6.00/kVAh
2. उच्च विभव उद्योग (1000 के0वी0ए0 की मांग से अधिक)				
2.1 लोड फैक्टर 40 प्रतिशत तक –सामान्य अवधि	रू0 480/ केवीए /माह बिल योग्य मांग पर	रू0 560/ केवीए /माह बिल योग्य मांग पर	रू0 6.45/kVAh	रू0 7.53/kVAh
2.2 लोड फैक्टर 40 प्रतिशत से अधिक –सामान्य अवधि	रू0 480/ केवीए /माह बिल योग्य मांग पर	रू0 560/ केवीए /माह बिल योग्य मांग पर	रू0 6.85/kVAh	रू0 8.00/kVAh
3.1 पीक अवधि चार्जेज (लोड फैक्टर 40 प्रतिशत तक)			रू0 8.91/kVAh	रू0 10.40/kVAh
3.2 पीक अवधि चार्जेज (लोड फैक्टर 40 प्रतिशत से अधिक)			रू0 8.91/kVAh	रू0 10.40/kVAh
3.3 ऑफ पीक अवधि चार्जेज (लोड फैक्टर 40 प्रतिशत तक)			रू0 4.84/kVAh	रू0 5.65/kVAh
3.4 ऑफ पीक अवधि चार्जेज (लोड फैक्टर 40 प्रतिशत से अधिक)			रू0 5.14/kVAh	रू0 6.00/kVAh

उपभोक्ता श्रेणी	फिक्स / डिमांड चार्जेज		इनर्जी चार्ज	
	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित
आरटीएस–6: मिश्रित भार				
75 कि0वा0 से अधिक सिंगल प्वाइंट बल्क सप्लाई एमईएस सहित	रू0 150 / केवीए /माह	रू0 175/ केवीए /माह	रू0 7.30/kVAh	रू0 8.52/kVAh
आरटीएस–7: रेलवे ट्रेक्शन				
रेलवे ट्रेक्शन	रू0 330 / केवीए /माह	रू0 413/ केवीए /माह	रू0 7.05/kVAh	रू0 8.23/kVAh
आरटीएस–8: इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन				
इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन			रू0 7.65/kWh	रू0 8.03/kWh
आरटीएस–9: टैम्परेरी सप्लाई#				
अन्य निर्माण कार्यों के लिये अस्थाई आपूर्ति	-	-	रू0 9.50/kVAh	रू0 11.40/kVAh

* *टैरिफ आदेश दिनांक 11–04–2025 के अनुसार 04 कि0वा0 तक तथा मासिक खपत 60 यूनिट तक*

\# *अन्य प्रयोजनों के लिये अस्थायी आपूर्ति हेतु रेट ऑफ चार्ज उपयुक्त दर सूची में 25 प्रतिशत जोडकर होगा तथा मकान या आवासीय परिसर के निर्माण हेतु रेट ऑफ चार्ज दर सूची आर.टी.एस.–1 मे 25 प्रतिशत जोडकर होगा।*

उद्योगों के लिये टीओडी चार्जेज

उद्योग	इनर्जी चार्ज		
	सामान्य अवधि	पीक अवधि	ऑफ पीक अवधि

निम्न विभव उद्योग	रू0 6.71 /kVAh	रू0 8.73/kVAh	रू0 5.03/kVAh
उच्च विभव उद्योग			
लोड फैक्टर 40 प्रतिशत तक	रू0 7.53/kVAh	रू0 10.40/kVAh	रू0 5.65/kVAh
लोड फैक्टर 40 प्रतिशत से अधिक	रू0 8.00/kVAh	रू010.40/kVAh	रू0 6.00/kVAh

11 – उपरोक्त के अतिरिक्त यूपीसीएल द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावित किया गया है:

(a) प्रीपेड मीटरिंग योजना जारी रखना।

(b) सभी उपभोक्ता श्रेणियों के लिये ग्रीन पॉवर टैरिफ की अनुमन्यता।

(c) स्मार्ट मीटर के डाटा विश्लेषण के आधार पर वर्ष 2027–28 से कृषि श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों पर टाईम ऑफ डे टैरिफ लागू करना।

(d) अधिक विद्युत मांग का उपभोग करने वाले एल.टी. इण्डस्ट्रीज पर एच.टी. दर सूची की विद्युत दरें जारी रखना।

(e) विद्युत बिलों के ऑनलाईन भुगतान पर वर्तमान में मिलने वाली छूट को जारी रखना।

(f) दर सूची आर.टी.एस.–2 (अघरेलू–सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान) के अन्तर्गत सिंगल प्वांइट बल्क सप्लाई को शामिल करना, जिसका टैरिफ घरेलू श्रेणी के सिंगल प्वांइट बल्क सप्लाई टैरिफ से अधिक हो।

(g) बी0पी0एल0 श्रेणी के उपभोक्तओं के इनर्जी चार्ज में 5 प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित है तथा फिक्स चार्जेज में कोई वृद्धि प्रस्तावित नही है।

(h) बी0पी0एल0 श्रेणी को छोडकर अन्य घरेलू श्रेणी के सभी स्लैब के टैरिफ में औसतन 15.72 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव।

(i) अघरेलू श्रेणी के टैरिफ में औसतन 16.89 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव।

(j) घरेलू सिंगल प्वाइंट बल्क सप्लाई श्रेणी के टैरिफ में औसतन 16.76 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव।

(k) गर्वनमेन्ट पब्लिक यूटिलिटिज् श्रेणी के टैरिफ में औसतन 16.76 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव।

(l) निजी नलकूप श्रेणी के टैरिफ में औसतन 5.09 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव।

(m) इण्डस्ट्री के टैरिफ में औसतन 16.27 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव।

(n) एल.टी. इण्डस्ट्री के फिक्स चार्ज में कोई वृद्धि नहीं।

(o) मिक्सड लोड श्रेणी के टैरिफ में औसतन 16.75 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव।

(p) रेलवे ट्रैक्शन श्रेणी के टैरिफ में औसतन 17.89 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव।

(q) इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन श्रेणी के टैरिफ में औसतन 05 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव।

(r) विविध चार्जेज में सीपीआई तथा डब्लूपीआई के औसत के आधार पर औसतन 6.65 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव ।

12– विस्तृत याचिका किसी भी कार्य दिवस में आयोग अथवा मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), वीसीवी गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून/ मुख्य अभियन्ता (वितरण), गढ़वाल क्षेत्र, उत्तराखण्ड़ पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 120–हरिद्वार रोड़, देहरादून/ मुख्य अभियन्ता (वितरण), कुमांऊ क्षेत्र, उत्तराखण्ड़ पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 132–के0वी0 सबस्टेशन, काठगोदाम, हल्द्वानी / मुख्य अभियन्ता (वितरण), हरिद्वार क्षेत्र, उत्तराखण्ड़ पावर कारपोरेशन लिमिटेड, रोशनाबाद, हरिद्वार/ मुख्य अभियन्ता (वितरण), उधमसिंह नगर क्षेत्र, उत्तराखण्ड़ पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 33 केवी सबस्टेशन, सेक्टर–2, सिडकुल, पंतनगर,रुद्रपुर–263153 पर बिना किसी खर्च के देखी जा सकती है। याचिका के सम्बन्धित प्रपत्र यूपीसीएल के उपर्युक्त वर्णित कार्यालयों से प्राप्त किये जा सकते है। उक्त पिटीशन आयोग की वेबसाईट (www.uerc.gov.in) एवं यूपीसीएल की वेबसाईट (www.upcl.org) पर भी उपलब्ध है।

13– याचिका पर उपभोक्ताओं एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के सुझाव/मत, यदि कोई हो, आंमत्रित किये जाते है। ये सुझाव/मत व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड़ विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, निकट आई0एस0बी0टी0, पोस्ट आफिस– माजरा, देहरादून – 248171 को अथवा ई–मेल (secy.uerc@gov.in) पर दिनांक 31–01–2026 तक भेजे जा सकते है। ये सुझाव /मत यूपीसीएल के प्रत्येक सबस्टेशन पर स्थापित ड्रॉप बॉक्स में भी उक्त तिथि तक एक लिफाफे में रखकर डाले जा सकते है। यह लिफाफा सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग को सम्बोधित होना चाहिये।

प्रबन्ध निदेशक